RAJYA SABHA

Friday, the 3rd March, 2006/12 *Phalguna,* 1927 *(Saka)*

The House met at Eleven of the clock

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Benefits to farmers from rising market prices

*181. SHRI RAJEEV SHUKLA: Will the Minister of AGRICULTURE be eased to state:

(a) whether it is a fact that farmers are not benefiting from rising market ices of wheat as the middlemen are taking all the profits;

(b) whether Government have a plan to ensure that farmers get adequate nefit from higher market prices of their crops;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR):) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Marketing of wheat along with other notified commodities is gulated under the Agricultural Produce Marketing Regulation Act (APMC ct). The whole geographical area in the State is divided as market area herein markets are managed by the Market Committees. As a nsequence of such a regulation, the farmer is restricted from entering to direct contract with any bulk buyer, as the produce is required to be nalized through regulated markets. The monopoly of the regulated arket has enabled the intermediaries operating therein to take a sproportionate share of the price paid by the consumer. As per the ailable information, the producer's share in the consumer's price in major heat producing States varied between 71.1% to 85.72%. The balance is

accounted for by charges such as mandi charges, sales tax, weighing charges, palledari, brokerage, transport cost and market margins.

Government has taken several steps to ensure that the farmers get adequate benefit from the higher market price for their crops. These are as follows:—

(i) This Ministry is proactively encouraging the State Governments to promote new competitive markets in private and cooperative sectors and allow direct marketing and contract farming programmes by suitably amending APMC Act. This is with the objective of promoting fair competition, so that the farmers can gain from the options available, and take their produce to the centres that offer the best prices/services including regulated markets.

(ii) This Ministry is implementing a capital investment subsidy scheme titled 'Construction of Rural Godowns' w.e.f. 01.04.2001, to provide the farming community with facilities for scientific storage so that wastage and produce deterioration are avoided and also to enable it to meet its credit requirement without being compelled to sell the produce at a time when the prices are low. The scheme has been made farmer friendly by allowing subsidy for smaller godowns of 50 MT size in general and of 25 MT in hilly areas. Five lakh tonnes capacity to be created is reserved for small farmers. Till 31.12.2005, 10932 storage projects having a capacity of 158.68 lakh tonne have been sanctioned under the scheme by providing a subsidy of Rs. 279.91 crore.

(iii) Government has permitted futures trading in wheat at the commodity exchange to enable farmers to discover prices of traded commodities including wheat well in advance of the crop season thus enabling them to decide when to sell his produce.

(iv) In addition, to ensure payment of remunerative prices to the farmers, the Government announces Minimum Support Prices (MSPs) for major crops. The price support mechanism enables the farmers to sell their produce at remunerative prices, whenever the market prices tend to fall below the MSP level.

श्री राजीव शुक्ला: उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वे ए॰पी॰एन॰सी॰ एक्ट को संशोधित कर रहे हैं ताकि किसानों से एक तो सीधी खरीदारी की जा सके

और दूसरे प्रो-एक्टिव होकर स्टेट गवर्नमेंट को एंकरेज कर रहे हैं कि किस तरह से कोआपरेटिव सैक्टर को और जो कम्पीटीटिव मार्केट है, उसको प्रोत्साहन दिया जा सके और सीधे खरीदारी की जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में राज्य सरकारें कितना सहयोग कर रही हैं, क्योंकि मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि सीधे खरीदारी हो रही है। अगर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार गांवों के सैंटर बनाए जाएं और वहां से खरीदारी की जाए तो किसानों को असली फायदा मिले। वरना जितने बिचौलिए हैं, वे सब वहां से गेहूं, अन्न और खाद्यान्न पदार्थ खरीद कर ले जाते हैं और वहीं मोटा मुनाफा कमाते हैं और किसानों को बहुत कम मिल पाता है। तो राज्य सरकारें इस मामले में कितना सहयोग कर रही हैं और ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट में कब तक संशोधन करेंगे?

श्री शरद पवार: जहां तक ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट का संबंध है, इस एक्ट की मदद किसानों को पिछले कई साल जरूर हो गई, क्योंकि उनको ट्रेडर्स से प्रोटक्शन देने के लिए और टोटल सेल रेग्यूलर करने के लिए कोई मशीनरी की आवश्यकता थी। यह जिम्मेदारी ए॰पी॰एम॰सी॰ ने पिछले कई साल से ली थी। मगर आजकल मार्केट में जो बदल हो रही है और दुनिया की मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको मद्दे-नजर रखते हुए यहां भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी। इस परिवर्तन की आवश्यकता के लिए एक डिसीजन यहां लिया गया कि आज ए॰पी॰एम॰सी॰ की जो मोनोपॉली है वह खाली ए॰पी॰एम॰सी॰ को मोनोपॉली लेकर ठीक नहीं होगा, किसानों को जहां अच्छी कीमत मिलेगी और जल्दी से जल्दी पैसे मिलेंगे, ऐसे ही एक आल्टरनेटिव अरेंजमेंट आज मंडी में, मार्केट में, देश में रहने की आवश्यकता है और इसलिए प्राइवेट मार्केट एस्टब्लिश करने का एक अधिकार जिन लोगों को इस क्षेत्र में जाना है उनको होना चाहिए और किसानों की जो उपज है, कौन सी मार्केट में भेजना है, जहां उनको ठीक तरह से कीमत मिलेगी, यह उनका अधिकार है और इसलिए ए॰पी॰एम॰सी॰ में बदल करने की आवश्यकता थी। ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट में बदल करने के लिए राज्य सरकार की मार्केटिंग मिनिस्टर से इनकी कांफ्रेंस डेढ़ साल पहले बंगलौर में बुलाई थी और उस कांफ्रेंस में बाई एंड लार्ज यूनेनिमिटी आई थी कि इसमें हम परिवर्तन करेंगे। यह परिवर्तन करने के लिए कुछ समय दिया था। इसकी जो प्रोग्रेस है "The States where the reforms of APMC Act have been done, as suggested, are Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Sikkim, Nagaland, Andhra Pradesh and Rajasthan.

इन्होंने टोटल परिवर्तन किया है, कुछ राज्यों ने पार्शली परिवर्तन किया है, इसमें हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात हैं। कई राज्य ऐसे हैं कि जहां ए॰पी॰एम॰सी॰ आती ही नहीं है और ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट ही नहीं इसलिए वहां सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां केरल, मणिपुर, अंडमान-निकोबार, दादरा, नगर हवेली द्वीप, दमन एवं

लक्ष्यद्वीप। और बाकी कुछ स्टेट हैं जहां–There are some States where the APMC Act already provided for the reforms इससे पहले उन्होंने किया है इनमें तमिलनाडु आता है और जिन स्टेटों ने where the administrative action is initiated for reforms, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ ऐसे उड़ीसा, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, गोवा, वेस्ट बंगाल और पांडिचेरी हैं और जहां बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है ऐसा स्टेट सिर्फ एक है–that is Jharkhand. बाकी सभी राज्यों में सुधार करने का प्रोसैस कई जगहों पर किया है और कई जगहों पर पूरी तरह से उन्होंने सुधार किया है और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों से एक नई मार्केट आने का एक प्रोसैस शुरू हो जाएगा। आज इसमें सात जगह पर नई टर्मीनल मार्केट आयेगी, इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। इसमें चेन्नई, कोलकाता हैं और पूरी लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, मैं पूरी लिस्ट दूंगा, मगर यह काम ठीक तरह से शुरू हो रहा है।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, now, I want to ask a very candid question from the hon. Minister. I want to know whether it is a fact that the entire wheat allotted to the North-East is being diverted to the black market.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, his supplementary doesn't come under the purview of this particular quesiton. In fact, this particular subject was discussed in this House on last Friday only, and there are certain committees which are appointed, one is ORG-MARG and there is one other Committee which was appointed by the Planning Commission. Both these Committees' reports indicate that there is a substantial diversion of the Wheat in the North-Eastern States.

SHRI RAJEEV SHUKLA: It is going on in other States also.

श्री शरद यादव: उपसभापति, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले साल आपका प्रोक्योरमेंट कितना हुआ? उसकी तुलना में उसके अगले और पिछले साल से कर लीजिए। आपने पांच लाख मीट्रिक टन अनाज को इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। पिछले प्रोक्योरमेंट के समय, उस दरम्यान किसानों को कम दाम मिला क्योंकि आपने पिछले साल प्रोक्योरमेंट कम किया था। निश्चित तोर पर प्राईवेट लोगों को आपने यह परम्परा जहां प्रोक्योरमेंट ज्यादा होता है, वहां तो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सूबे हैं, जहां पर पैडी का मामला है, वीट का मामला है, बहुत सूबे हैं, जहां पर प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब पांच लाख मीट्रिक टन अनाज आयेगा, तब मार्च में किसान के घर में फसल आ जायेगी, एक बाजार का जो संतुलन है, एक सायकी है, वह चेंज होगी और फिर से किसान के घर में जब अनाज आयेगा, तब वह सस्ता हो जायेगा और बिचौलिये इसका फायदा उठायेंगे। जैसे–अभी बिचौलियों ने, इसमें बड़े प्राईवेट लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया है, पिछली बार आपने प्रोक्योरमेंट कम किया था!

उपसभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बार आप प्रोक्योरमेंट के मामले में सावधानी बरतें। हमारा जो बफर स्टाक है, आप प्रोक्योरमेंट के लिए जो मिनीमम प्राइस रखते हैं, आपको भी मार्केट से कम्पीट करके अपने बफर स्टाक के प्रोक्योरमेंट को मजबूत रखना चाहिए। ऐसा पिछली बार आपसे नहीं हुआ और निश्चित तौर पर यह जो पांच लाख मीट्रिक टन अनाज आपने मंगाया है, आप जितने तर्क दें, जैसे तर्क दें, लेकिन इससे किसान की आने वाली फसल के दाम पर असर पड़ेगा, जो सायकी मार्केट की होगी, उससे दाम घटेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार के प्रोक्योरमेंट के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके पास दो सिस्टम हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिये। बहुत मेम्बर्स सवाल पूछने वाले हैं।

श्री शरद यादव: एक डिस्ट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, उसको एनकरेज आपको करना चाहिए, उसमें आप क्या कर रहे हैं? एफसीआई द्वारा खरीद की जो परम्परा है, उसको आप मेनटेन करेंगे या नहीं करेंगे? ये दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: उपसभापति महोदय, यह बात सच है कि पिछले साल टोटल प्रोक्योरमेंट 140 के आसपास हुई थी। जिन राज्यों का जो प्रोक्योरमेंट टारगेट बनाया था, वहां कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ एक राज्य में समस्या पैदा हुई थी और वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल साडनली हमारा वीट प्रोक्योरमेंट कम हो गया। जहां तक पैडी की बात है, पूरे देश में इस साल पैडी का प्रोक्योरमेंट अच्छा हुआ है और जो हमारा टोटल टारगेट था, वह टारगेट पूरा करके आज हमारे पास पैडी का स्टाक अच्छा है, पैडी के लिए कोई समस्या नहीं है। पिछले साल समस्या पैदा हुई थी। यह बात सच है कि जो बफर स्टाक के नार्म्स हैं, उन नार्म्स के मुताबिक अप्रैल महीने में हमारे पास स्टाक कम हो जायेगा। आज पूरे देश में, जो फूड सेक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी करने की आवश्यकता है, उतना फूड स्टाक है, इतना वीट है, इसमें कोई कमी नहीं है। मगर आगे, एक साल में, कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि किसी राज्य में सूखा पड़ जाये।

कई राज्यों में मानसून ने ठीक तरह से सहयोग नहीं दिया, तब यह समस्या आती है। इसके लिए रिज़र्व बफर की आवश्यकता है। इस पर गंभीर असर हुआ है और खाली पांच लाख टन इम्पोर्ट करने का डिसीज़न ले लिया है, और वह भी सदर्न स्टेट्स के लिए। जहां तक प्रश्न है कि यहां कि प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और इम्पोर्ट का माल आएगा तो इसकी कीमत तय की है, उस कीमत पर क्या असर होगा? कीमत पर बिलुकल नहीं होगा क्योंकि जो कीमत तय की है, उस कीमत पर देश में, जहां-जहां पर वीट मिलेगा, वहां खरीदने के लिए एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स की पूरी तैयारी है। पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट हो, इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा वीट का प्रोक्योरमेंट होता है और वहां मंडी में आने वाला सारा गेहूं, जो एमएसपी तय होता है, उसे खरीदने की पूरी तैयारी एफसीआई की है और इस संबंध में पूरा इंतजाम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी।

श्रीमती वृंदा कारत: उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के जवाब के दो बिन्दुओं पर हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। पहला, मंत्री जी के जवाब में एक आधार है कि फॉर्मर्स को वह च्वाइस देना चाहते हैं और उस च्वाइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्केट की डीरेग्यूलेशन का सुझाव दिया है। लेकिन जो इस समय हमारे देश की हकीकत है, उसमें स्पष्ट है कि अगर सरकार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को कमजोर करेगी तो किसानों की जो हालत है, वह और भी बिगड़ेगी, कीमतें और गिर पड़ेंगी और जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वे मार्किट में आकर प्राइसिज़ को और भी पुशडाउन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे माननीय सांसद शरद यादव जी ने जो सवाल उठाया, 19 मिलियन टन से 14 मिलियन टन–पांच मिलियन टन की कटौती 2001-02 से 2005-06 तक हुई है। उससे किसानों के जो हालात बने, नॉन प्रोक्योरमेंट के कारण, वह देश के सामने हैं। 65 परसेंट पंजाब के ही फॉर्मर्स आज कर्जे में डूबे हुए हैं।

श्री उपसभापति: क्वेश्चन प्वाइंटिड पूछें क्योंकि बहुत से मैंबर्स सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत: मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि क्या वे इस हाउस को गारंटी देंगे कि जो प्रोक्योरमेंट की सरकार की जिम्मेदारी है, डीरेग्यूलेटिड मार्किट के नाम पर प्रोक्योरमेंट को कम करने की जो दिशा है, क्या उसे वह कम करेंगे, वह गारंटी देंगे या नहीं कि प्रोक्योरमेंट बढ़ाएंगे? दूसरी बात यह है कि तीन दिन पहले जब वीट इम्पोर्ट की बात आयी थी तो मंत्री जी ने हाउस को आश्वासन दिया था कि दो दिन के अंदर वह बताएंगे कि इम्पोर्टेड वीट का दाम और जो दाम हम किसानों को दे रहे हैं, विदेशी व्यापारी और हिन्दुस्तान के किसानों को जो हम दाम दे रहे हैं, उसका क्या अंतर है, वह दो दिन में बताएंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस संबंध में हाउस को थोड़ा विश्वास में लें।

श्री शरद पवार: जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, पिछले साल भी प्रोक्योरमेंट के लिए हमने कुछ कमी नहीं की थी। मैंने कहा कि जो टारगेट, जो उद्देश्य तय किए थे, उसमें सभी तरफ से सहयोग आया है, सिर्फ एक राज्य में नहीं मिला, इसीलिए यह परिस्थिति पैदा हो गयी। जहां तक इस साल की स्थिति है, हमारी टोटल अप्रोच यह है कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीद सकते हैं, उसे खरीदने के लिए पूरा इंतजाम किया है। किसान जितना गेहूं मार्किट में लाएगा, मंडी में लाएगा, उसकी पूरी उपज खरीदने की तैयारी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ और कोऑपरेटिव एजेंसीज़ की है। इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा, जब किसान अपना माल लाएगा और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी वहां नहीं होगी, वह खरीदने के लिए तैयार नहीं होगी, जिससे उनकी लूट हो जाएगी–यह हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इनफेक्ट, हमने इसमें और एक सुधार किया है कि आज तक टोटल प्रोक्योरमेंट, जहां तक वीट और राइस की है, वह दो तीन राज्यों तक सीमित थी। हमने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है कि वह डीसैंट्रलाइज़ मैनर, पूरे देश के सभी राज्यों में, जहां-जहां पैदावार होती है, वहां कैसे हो सकता है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी

हो रही है कि आज तक हमेशा, जहां तक पैडी की प्रोक्योरमेंट है, वह एक नम्बर पंजाब से होती थी और दो नम्बर हरियाणा से होती थी। आज पंजाब से एक नम्बर की प्रोक्योरमेंट है और दूसरा नम्बर हरियाणा का नहीं है, दूसरा नम्बर छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ ने दूसरे नम्बर की प्रोक्योरमेंट की है। इस बार पहली बार पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु–ये राज्य पैडी की प्रोक्योरमेंट में आगे आ रहे हैं।

बिहार में पिछले साल जो टोटल पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई थी, उससे दुगुनी प्रोक्योरमेंट आज तक हुई है। इसलिए सरकार ने डीसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की जो नीति बनाई है, इसको ठीक तरह से रेस्पोन्स मिल रहा है और इससे किसानों को राहत मिल रही है। जहां तक इम्पोर्टेड व्हीट की प्राइस का, दूसरे सवाल का है, इसकी इन्फोरमेशन मेरे पास नहीं है, मगर एक बात मैं जनरल यह बताना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा से जो सदर्न इंडिया को हम गेहूं भेजते हैं, उसकी कीमत और विदेश से आने वाला गेहूं जो सदर्न इंडिया में आता है, उसमें सौ रुपए का फर्क है, सौ रुपये तक वह वहां कम आएगा।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैंने किसानों की बात पूछी थी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। यह क्वैश्चन आवर है। श्री विक्रम वर्मा।

श्री विक्रम वर्मा: उपसभापति जी, आप स्वयं चेयर पर हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्पादकों के हिस्से, जो मूल्य मिलता है, वह 71 परसेंट से 85.72 परसेंट तक होता है और आप उससे यह 650/- रुपए पर खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन सब चीजों को माइनस करें, तो 643/- रुपए उसको मिलते हैं। अभी आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन पेपर में जो आया है, आस्ट्रेलिया की जिस कंपनी ने टेंडर डाला है, उसके अनुसार वह गेहूं हिंदुस्तान में लगभग 900/- रुपए में मिलेगा। हिंदुस्तान के किसान को 643/- रुपए मिलते हैं और विदेश का गेहूं हम 900/- रुपए में खरीदेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्रोडक्शन होता है, वह तो बिक जाता है, मगर आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्शन 600/- रुपए, 700/- रुपए में बिकता है, बाद में उसका भाव मार्केट में 1000/- रुपए से ऊपर चला जाता है। तो आपके द्वारा इस चीज को रोकने के लिए, ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने के लिए, ज्यादा भंडारण करने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें लिंकेज सिस्टम में, अभी तक हम जब उसे वेयरहाऊस में रखते हैं, तो बैंक से लोन सेंक्सन नहीं हो पाता है।

श्री उपसभापति: आप क्वैश्चन करिए।

श्री विक्रम वर्मा: सर, मैं वही पूछ रहा हूं। बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं और इसके कारण से किसान को अपना माल बेचना पड़ता है। यह जो नया बिल वेयरहाऊसिंग को लिंकेज करने का है, उसमें गुड्स की परिभाषा जो दी है, उसमें गुड्स लिखा है, जैसा मैंने बिल में पढ़ा है। इसमें गुड्स

इन्क्ल्यूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टस आलसो दिया है। इसका अगर आप एक्सक्ल्यूजिव ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए करेंगे, तो फिर उससे उसको लोन मिल सकता है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि आप गुड्स यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टस एक्सक्ल्यूजिव करने के बारे में विचार करेंगे? क्या इस बारे में कोई आश्वासन आप देंगे?

श्री शरद पवार: उपसभापति जी, यह बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसानों के लिए फ्यूचर की कीमत से लाभ मिलने का कोई इंतजाम करने की आवश्यकता है और इसी काम के लिए निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सुधार करके या वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के एक्ट में सुधार करके एक प्रस्ताव सदन के सामने लाया है और मुझे विश्वास है कि इस बजट सेशन में आप सभी का इसमें ठीक तरह से सहयोग मिलेगा और एक नई नीति पर हम अमल करेंगे। किसानों को फ्यूचर मार्केट का बेनिफिट मिलना चाहिए और इसके लिए इसमें गेहूं का कहा गया है। यह बात सच है कि आज की सपोर्ट प्राइस एनाउन्स होती है, फ्यूचर की भी प्राइस एनाउन्स होती है।, मगर अभी तक इसकी इन्फोरमेशन किसानों के पास नहीं पहुंच पाती। चूंकि किसानों को यह मालूम नहीं होता, जैसे समझो, मेरी उपज या जो मैंने गेहूं पैदा किया है, जो आज का महीना है, इसके चार महीने के बाद मुझे ज्यादा कीमत मिलने की संभावना है, तो मैं अपना उत्पादन गोदाम में रख सकता हूं, वहां मुझे बैंक से पैसे मिलेंगे और चार महीने के बाद जब उसकी ज्यादा कीमत होगी, तो उसकी डिलीवरी दूंगा। इससे मुझे ज्यादा फायदा भी मिलेगा माइनस गोदाम चार्जेज। यह सिस्टम बाकी सभी क्षेत्र में था, एग्रीकल्चर प्रोडयूस के बारे में नहीं था। चूंकि इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, इसलिए कानून में सुधार लाने का प्रस्ताव सदन के सामने आएगा। इसके साथ साथ Multi Commodity Exchange of India (MCX). They have established the National Spot Exchange for Agriculture Produce. This organisation is going to link many market committees. About 7500 Agriculture Produce Market Committees, मार्केट कमेटीज की जो मंडी है, उसको लिंक करने का काम इससे किया जाएगा और यह सभी मार्केट में Commodity Soochna Kendra will be established. In that Commodity Soochna Kendra, farmers will get information what is today's price throughout India, what is today's price throughout the world, what will be the tomorrow's price, what will be the price after 15 days and what will be the next month's price कि भाई, मुझे कब माल बेचना है, तो इसका इंतज़ाम पूरे देश में करने के लिए सुविधा की है। आज ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा: मंत्री जी, मैंने ...(व्यवधान)... एक मिनट ... उसमें जो ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, यह तो मुश्किल है। ...(व्यवधान)... क्वेश्चन ऑवर में क्लैरिफिकेशन्स नहीं हो सकते हैं। बहुत मुश्किल है। ...(व्यवधान)...

श्री शरद पवार: जब बिल सदन के सामने डिसकशन के लिए आएगा, तब ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: तब डिसकस कीजिएगा।

श्री शरद पवार: तब लाभ हो जाएगा, इसमें दुरुस्त करने की हमारी तैयारी रहेगी। आज एक्सचेंज के लिए नेटवर्क तैयार करने में हम लगे हुए हैं, जिसमें कई राज्यों में काम हुआ है। इसमें आठ राज्य ऐसे हैं-महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और केरल में एक दूसरी योजना शुरू की है, जिसका नाम है ''अक्षय केंद्र''। तो केरल में 350 जगहों पर वे ''अक्षय केंद्र'' भी लगाए गए हैं, कि इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश की सभी मंडियों में, प्राइवेट मंडियों में, दोनों जगहों पर इसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।

Sea food parks in coastal areas

*182. SHRI RAJU PARMAR: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to develop sea food parks in coastal areas;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether these parks are very popular the world over; and

(d) if so, whether Government propose to have joint venture with foreign firms for development of such parks and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

The Ministry of Food Processing Industries, with a view to make available infrastructural facilities to processing units, under its plan schemes, provides financial assistance @ 25% of project cost in general areas and @ 33.33% of project cost in difficult areas, subject to maximum of Rs. 4.00 crore, for provision of common facilities if Food Parks such as power supply, water supply, cold storage, warehousing facilities, effluent treatment plant, food testing analytical laboratories, common processing facilities etc. The assistance is available to all implementing agencies including State Government undertakings, cooperatives, private entities who come forward with viable proposals. The Food Parks may be based on raw